(b) and (c) Do not arise.

. Encroachment on road in Shalimar Bagh

3267. SHRI SUKOMAL SEN : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a road of 100 feet wide between block 'B' pocket H East to Block 'B' Pocket J (East) Shalimar Bagh was constructed - for the convenience of redidents living in the houses built on 70 sq. metres plots;

(b) whether it is also a fact that jhuggi jhopri dwellers have encroached upon this road constructing jhuggies thereon resulting into the closure of this road; and

(c) if so, what remedial steps Government propose to take to vacate this encroachment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) There is 18 meter wide and 100 feet wide road between Pocket H to J in Block B.

(b) No, Sir. The J.J. clusters are on the area where the land use was Group Housing Society & District **Park.**

(c) Does not arise in view of reply to part (b) above.

बिना बारी फ्लैटों के आवंटन के लिए लम्बित आवेदन

3268. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बिना बारी आवंटन के लिए सरकार के पास आवेदन लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, विधवाओं, विकलांगों और अन्य व्यक्तियों की श्रेणियों के कितने व्यक्तियों ने अलग-अलग अनुकम्पा के आधार पर फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन किया है ; और

(ग) इन आवेदनों के कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैटों के लिए 45 तथा मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता फ्लैटों के लिए 265 आवेदन पत्र बिना बारी का आवंटनार्थ लम्बित हैं । स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैटों के लिए आवेदनों के ब्यौरे अनुलग्नक- 1 में तथा अन्य फ्लैटों के लिए आवेदनों के ब्यौरे अनुलग्नक II में दिये गये हैं । [देखिए परिशिष्ट CLI, अनुपत्र सं० 183] ।

(ग) सामान्यत: आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जाती है, और आवेदन पत्रों के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज होने और आवेदन पत्र पूर्ण होने की स्थिति में 45 दिन के अन्दर-अन्दर निर्णय लिया जाता है ।

संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

3269. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों को फ्लैट आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसका मानदण्ड क्या है ?